



396

सू. प्र. 2362 / 2016

न्यायालय - श्रीमान मप्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्र० क्र० / 2016 निगरानी

निगा - 2362 - I 16

केशर सिंह पुत्र हरप्रसाद लोधी निवासी
ग्राम बंजरिया तहसील ग्वालियर जिला
विद्विशा मप्र० निगरानीकर्ता

बनाम

125

श्री एलरामसिंह मोदी
अधि० द्वारा आज दिनांक
17/11/16 को सुनवा

17/11/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

1. श्यामबाई पति मंगाराम लोधी
 2. श्यामबिहारी पुत्र हरप्रसाद लोधी
 3. अनवर खा पुत्र नन्दू खा मुलमान
 4. नोसे खा पुत्र नन्दू खा मुलमान
 5. वांद मिया पुत्र खान खा मुलमान
 7. शकीना बी पुत्री नन्दू खा मुलमान
 8. लक्ष्मीबाई पति हीरालाल लोधी
 9. सीताराम पुत्र गणेशराम लोधी
- सभी निवासीगण ग्राम बंजरिया तहसील
ग्वालियर जिला विद्विशा मप्र०

..... रिस्थापितगण

निगरानी धारा 50 मप्र० अधिनियम 1959

माननीय महोदय,

सेवा में,

सह निगरानी अधिस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय
ग्वालियर के राजस्व प्र० क्र० 18 अ-6/अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक
24.6.16 से अंदर म्याद पेश की जा रही है।

// निगरानी के तथ्य //

=====

यहकि वाद गुप्त घूमि स्थित बंजरिया तहसील ग्वालियर
जिला विद्विशा के सर्वे क्रं. 23 रकबा 3.783 हे० सर्वे क्रं. 24 रकबा 0.094 हे०
सर्वे क्रं. 25/1 रकबा 0.732 हे०, सर्वे क्रं. 26 रकबा 0.408 हे०, सर्वे क्रं. 27
सर्वे क्रं. 28 रकबा 0.067 हे०, सर्वे क्रं. 29 रकबा 0.282 हे०

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2362-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री के.एस. राजपूत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(3)</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	